न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर0 ए0 एस0

मुकदमा नम्बर– राजस्व प्रार्थना पत्रः– 32/2022 (पुराना) एवं
125/2022 (इस न्यायालय का)

उनवान

1. श्री रामसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
2. मुकेश सिंह पुत्र उम्मेदसिंह
3. प्रेमदेवी पत्नि उम्मेदसिंह

समस्त जाति राव निवासीयान आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर

–प्रार्थीगण

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरियेः– तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर
2. मोहरी देवी पत्नि बसन्तीलाल
3. रामेश्वरी देवी पत्नि हनुमान सहाय
4. सरजू देवी पत्नि घीसालाल

समस्त जाति कुमावत निवासी दहमी कलां तहसील बगरू जिला जयपुर

5. कन्हैयालाल पुत्र घीसा
6. जयनारायण पुत्र गोपाल
7. नन्दकिशोर पुत्र गोपाल
8. प्रभाती देवी पत्नि गोपाल
9. प्रेम देवी पुत्री गोपाल
10. महावीर प्रसाद पुत्र श्रवण
11. राजू देवी पत्नि कैलाशचन्द
12. रामेश्वर पुत्र श्रवण
13. रामानन्द पुत्र श्रवण
14. लाडादेवी पुत्री गोपाल
15. हरिशचन्द पुत्र गोपाल

समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर

16. अंजु पुत्री नारायण लाल
17. ओमप्रकाश पुत्र पांचूराम
18. गंगाराम पुत्र लालूराम
19. गजानन्द पुत्र पांचूराम
20. गायत्रीदेवी पुत्री सूजाराम
21. गीतादेवी पुत्री पांचूराम
22. गोपीराम पुत्र बालू (फौत)
23. जगदीश प्रसाद पुत्र नारायणलाल
24. टीकमचन्द पुत्र सूजाराम
25. तीजादेवी पत्नि नारायणलाल
26. पूजादेवी पुत्री छोटूराम
27. प्रकाश पुत्र नारायणलाल
28. प्रभातीदेवी पत्नि पांचूराम
29. प्रेमदेवी पुत्री छोटूराम
30. बजरंगलाल पुत्र नारायणलाल
31. बंशीलाल पुत्र सूजाराम

......2

17/5/23
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

32. बाबूलाल पुत्र छोटूराम
33. मंजूदेवी पुत्री नारायणलाल
34. ममतादेवी पुत्री छोटूराम
35. मांगीदेवी पुत्री छोटूराम
36. मालीदेवी पत्नि छोटूराम
37. रूडमल पुत्र पांचूराम
38. राजूदेवी पुत्री छोटूराम
39. राधेश्याम पुत्र छोटूराम
40. रामसहाय पुत्र लालूराम
41. विनोदी देवी पुत्री छोटूराम
42. शिवकुमार पुत्र नारायणलाल
43. सीतादेवी पुत्री पांचूराम
44. हरिराम पुत्र लालूराम
45. गोपाल लाल पुत्र आनन्दा
46. रमेश कुमार पुत्र आनन्दा
47. पुरणमल पुत्र आनन्दा

समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक 17.04.2023</u>

उपस्थित— 1. श्री लोकेश कुमार शर्मा— प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा— अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3
3. सरकार पैरोकार

—:<u>निर्णयः</u>—

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आसलपुर भू0अ0नि0 आसलपुर तहसील जोबनेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 735 रकबा 1.5680 है0, खसरा नम्बर 738 रकबा 0.9104 है0, खसरा नम्बर 739 रकबा 8.1181 है0, कुल किता तीन कुल रकबा 10.5965 भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की सीमा का ज्ञान कराने हेतु अप्रार्थी सं0 1 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 23/5/2022 को सीमाज्ञान किया गया। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 23/5/2022 को किए गए सीमाज्ञान के आधार पर कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण के नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं0 5,15,24,31,39,40,45,46,47 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शर्मा द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। शेष अप्रार्थीगण की तामील जरिये अखबार साया से करायी जाने पर उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल

...........3

17/4/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

में लायी गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन् किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब एवं बहस में निवेदन किया कि सैटलमेंट के नक्शे से ही पत्थरगढी करायी जावे। जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 ग्राम आसलपुर भू0अ0नि0 आसलपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 735,738,739 भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा –128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम आसलपुर भू0अ0नि0 आसलपुर में स्थित आराजी नम्बर 735,738,739 भूमि सीमा जानकारी के लिये भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मोमियाशीट/मदर मैप से पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। लठ्ठा नक्शा से पत्थरगढी नहीं की जावें। राजस्थान सरकार के विभागीय नियम के अनुसार राजकीय पत्थरगढी शुल्क 400/– रूपये तहसीलदार जोबनेर के यहाँ मद संख्या 0029 भू राजस्व–800 अन्य मद 13–विविध प्राप्तियों में प्रार्थीगण जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक आसलपुर को 2200/–रूपये (दो हजार दो सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। कमिश्नर भू0अ0नि0 आसलपुर को पाबंद किया जाता है कि पत्थरगढी के दौरान प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पडौसी खातेदारों का कब्जा होने की स्थिति में कब्जे की सुपुर्दगी करने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं करें। साथ ही यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 आसलपुर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार जोबनेर को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/4/2023

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर